(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-1 SECTION-2)

No. I-18011/03/2017-IPS.IV
Government of India
Ministry of Home Affairs
Police-I Division (IPS-IV Section)

Room No. 220, North Block, New Delhi-110001, dated the 13 June, 2017

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm MS. Ruchika Rishi, IPS (Sikkim: 2004), in the Indian Police Service with effect from 27.12.2006.

(Debasish Haldar)

Under Secretary to Government of India Ph. No.011- 23094916

To

13

The Manager, Government of India Press, Faridabad (Haryana).

No. I-18011/03/2017-IPS.IV Copy forwarded to:

dated the 13 June, 2017

- The Chief Secretary Government of Sikkim, Department of Personnel, Adm. Reforms Training and P.G., Gangtok, Sikkim with reference to their letter No. 496/Gen/DOP dated 19/05/2016 and letter No. 1498/Gen/DOP dated 30/03/17 along with 01 spare copies for the officers concerned.
- 2. The Accountant General, Sikkim, Gangtok.
- 3. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahajahan Road, New Delhi. (The officers were appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examinations, 2003).
- 4. ACR Cell, Police-I Division, MHA, North Block, New Delhi along with copies of assessment reports of the 01 IPS officers for the period of their probation.
- 5. SO (IT), for uploading on the website of MHA on new link at IPS cadre Management / Civil Service Examination / IPS Probationers /Confirmation in IPS.
- 6. Guard File.

(Debasish Haldar)

Under Secretary to Government of India

(भारत के राजपत्र, भाग—।, खण्ड—2 में प्रकाशनार्थ) सं0 ।—18011/03/2017—आई0पी0एस0—IV भारत सरकार/गृह मंत्रालय पुलिस—1 प्रभाग(आईपीएस—IV अनुभाग)

* * * * *

कमरा नं0 220, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली—110001, दिनांक : 13 जून, 2017

अधि सूच ना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के श्रीमती रूचिका ऋषि, भा०पु०से०, (सिक्किम: 2004) को दिनांक 27. 12.2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किया जाता है।

(देबाशीष हलघर)

भारत सराकर के अवर सचिव (आई०पी०एस0—IV) दूरभाष सं0 011-23094916

सेवा में.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)

सं0 1-18011/03/2017-आई0पी0एस0-IV

दिनांक : 13 जून, 2017

प्रति प्रेषित :-

- मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक रिफोर्मस प्रशिक्षण पी.जी. विभाग, गंगटोक, को उपके पत्र सं0 496/Gen/DOP दिनांक 19.05.2016 एवं पत्र सं0 1498/Gen/DOP दिनांक 30.03.2017 के संदर्भ में श्रीमती रूचिका ऋषि, भा0पु०से0, (सिक्किमः 2004) के लिए एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 2. महालेखाकार, सिक्किम, गंगटोक् ।
- 3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली । (भारतीय पुलिस सेवाा में अधिकारी की नियुकित सिविल सेवा परीक्षा—2003 के आधार पर की गई थी) ।
- 4. आई०पी०एस० ।। अनुभाग, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को श्रीमती रूचिका ऋषि, भा०पु०से०, (सिक्किम: 2004) के मुल्यांकन रिपोर्ट के साथ ।
- 5. एस.ओ. (आई.टी.) को इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के आइ.पी. एस., स्थायीकरण बेवसाइट पर इस अधिसूचना को अपलोड करने की कार्रवाई करें ।
- 6. गार्ड फाइल ।

द्वाशीष हुन्धर

भारत सराकर के अवर सचिव (आई०पी०एस0—IV) दूरभाष सं0 011—23094916